



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
देखिये नियम 169 एच
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- लालसोट

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- लालसोट

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2080 (वर्ष 2024) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- लालसोट

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- लालसोट

खाता संख्या नया :- 905

जिला :- दौसा

खाता संख्या पुराना :- 1302

काश्तकार का नाम :-

1. चम्पा पुत्री कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
2. दुर्गादेवी पत्नि ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
3. धप्पो पुत्री कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
4. पुखराज पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
5. प्रेम पुत्री कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
6. बदाम पुत्री ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
7. बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
8. भगवानसहाय पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
9. रमेश पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
10. सुखजी पुत्र कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
- ✓ 11. स्व.मूलचन्दमीना कल्याण संस्थान हिस्सा- 11/19 सा. देह संस्था के लिए अ.वि.व.- जरिये सचिव सतपाल मीना तहसील लालसोट
12. हजारी पुत्र कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
13. हीरालाल पुत्र कजोडमल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1646	0.2403 बारानी 1	0.2403	0.15		
कुल खसरे -1	0.2403		0.1500		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - SW MOOLCHAND MEENA
KALYAN SANSTHAN
प्रतिलिपि सं. - 20147
दिनांक व समय -24/Feb/2024 10:53:00 AM

पता - LALSOT
आई.पी. - 10.70.244.252
नकल जारी करने का स्थान - लालसोट

यू.एस.एन - 72637472590503

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=72637472590503>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MADAN LAL MEENA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 05/Feb/2024 11:14:00 AM



प्ररूप-11
नियम 7 (1) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं. और वर्ष

- (1) श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सतपाल मीना निवासी जयपुर।
(2) श्री मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान ज्वरिये सचिव सतपाल पुत्र बृजमोहन मीना निवासी महारिया तहसील लालसोट।

LyA
18/9/03

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

1. उपर चामित आवेदकों ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	प्रस्तावित रकबा क्षेत्रफल
लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 1642 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं. 1643 रकबा 2.04 बीघा खसरा नं. 1644 रकबा 1.11 बीघा खसरा नं. 1646 रकबा 19 विस्वा में से 11 विस्वा कुल किता 4, 90 क हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 5 बीघा 16 विस्वा	5 बीघा 16 विस्वा

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदकों द्वारा आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदकों के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लालसोट में खसरा नं. 1642 रकबा 1.10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नं. 1643 रकबा 2.04 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नं. 1644 रकबा 1.11 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नं. 1646 रकबा 19 विस्वा में से 11 विस्वा भूमि पर आवेदकों के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवेदन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदकों द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिसूचित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12/8/23 को पारित किया गया।

(सीमा चौधरी)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिका लालसोट

दिनांक 12/8/23

सं. 3134

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रपिप्त की गयी -

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका लालसोट
2. तहसीलदार, तहसील लालसोट को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. खातेदार श्रीमती मुन्नी देवी को सूचनार्थ।

(सीमा चौधरी)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिका लालसोट

61C

तहसीलदार तहसील लालसोट

कमाल/भू.अ.नं./ 201/ब दिनांक 18/9/23

मूल ही बटवारी हलका लालसोट

विद्यमानसार पालनार्थ पेशित है

18/9/23
तहसीलदार
लालसोट (दोसा)

नम्बर रसीद संख्या... 2420

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम मनवती देवी पटेल
2. लेख्य-पत्र की किस्म राजनीपाल इकाईकार बि०
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई लाञ्छित
4. प्रतिफल की रकम विक्रयपत्र 812000 - रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री Value 1086800 -
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 10870 -
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 300 -

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 13340 -

ग. विविध फीस :

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस 5440 -
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) को अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

रजिस्ट्रार यो ग फीस 29950 -

फीस के प्राप्त होने की तारीख 20-11-5

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और

लौटाये जाने या पाने की तारीख [Signature]

उप पंजियक

रजिस्ट्री करने वाले अपराध के हस्ताक्षर
(रसीद मिला घसा (रिज.))

149/20157



461133



विक्रय-पत्र आराजी बिलऐवज गुबलिंग रुपये 8,19,000/- अंके आठ लाख उन्नीस हजार रुपये मात्र।



❖ विक्रेतागण (प्रथमपक्ष) :- भगवती देवी पत्नि रामजीलाल कौम स्वर्णकार हि0 3/19 व रामसहाय, जगन्नाथ, चौथमल, प्रकाशचन्द्र पि0 रामचन्द्र हि0 8/19 जाति माली निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

बहक

❖ क्रेता (द्वितीयपक्ष) :- स्व0 मूलचन्द्र मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव सतपाल मीना लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

गणेश चन्द्र माली
प्रकाश चन्द्र माली



दौसा

21/1/15

सचिव

[Handwritten signature]

8961 दि. 20-1-15

20000 का विक्रय पत्र

वि. अ. नं. 20000 का विक्रय पत्र, क. अ. नं. 20000 का विक्रय पत्र

मामा



वि. अ. नं. 20000 का विक्रय पत्र

क. अ. नं. 20000 का विक्रय पत्र

मामा

20,000 + 2 = 40,000

500 + 2 = 1000

क्रा 4 = 41000/-

शहीद स्म. 2426/45
20-01-15

RS- 10870

300

13340

5440

29950

Signature

20-01-2015 बु. अ. नं. 2

अमकलदीवी

पति रामजीलाल लालशर

900447

Signature

अमकलदीवी

13340

Signature

2426/45 20-01-15

1086800 54340

Signature

अमकलदीवी



Handwritten mark at the bottom

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

461134

राजस्थान RAJASTHAN

JAN 2018



. 2 .

विक्रय-पत्र आराजी ख.नं 1646 रकबा 19 बिस्वा अंके उन्नीस बिस्वा भूमि स्थित कस्बा लालसोट तहसील लालसोट में हम विक्रेतागण की हिस्सा 11/19 की भूमि का बेचान

विक्रय-पत्र

मायाके भगवती देवी उम्र 70 साल पत्नि रामजीलाल कौम स्वर्णकार व रामसहाय उम्र 70 साल, जगन्नाथ उम्र 67 साल, चौथमल उम्र 45 साल, प्रकाशचन्द्र उम्र 40 साल पि० रामचन्द्र जाति माली निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान प्रदेश के है ।

—विक्रेतागण (प्रथमपक्ष)

Handwritten signatures and text in Hindi.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.


Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten signature at the bottom right.

8961 दि. 10-1-17

प्लॉट नं. 20000 मंच. 3

श्री रामजी देवी, कुप्राण तालुका, जिल्हा
लालसोट



दिनेश कुमार गुप्ता
ज्येष्ठ विक्रेता
लालसोट जिला- दौर
ला न- R11/92

(1) रामवती देवी पुत्र रामजी देव जाति- लवणकार उम्र- 70 साल
पश्चात् काश्त नि. 0 लालसोट

(2) रामलक्ष्मी उम्र- 70 साल (3) जगन्नाथ उम्र- 67 साल


(4) चौधमल पुत्र रामचंद्र उम्र- 48 पश्चात् काश्त
नि. 0 लालसोट

(5) एकशंकर शंकर
माला उम्र 48 काश्त
लालसोट नि. 0 लालसोट
विक्रयपत्र

219000 आदिना 29 उनीस हजार मात्र

Signature and official stamp of the seller

Handwritten names and signatures: श्री रामजी देवी, श्री जगन्नाथ, श्री चौधमल, श्री एकशंकर, श्री रामलक्ष्मी, श्री जगन्नाथ, श्री चौधमल, श्री एकशंकर





. 3 .

C 353608

जो कि कस्बा लालसोट पटवार क्षेत्र लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान क्षेत्र में कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 690 में आराजी ख.नं 1646 रकबा 19 बिस्वा अंके उन्नीस बिस्वा भूमि में हम विक्रेतागण की हिस्सा 11./19 की भूमि अंकित व स्थित है । उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उपरोक्त वर्णित हिस्सा की खातेदारी विक्रेतागण प्रथमपक्ष के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं बहैसियत खातेदार कृषक के रूप में बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर, साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है तथा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्पष्ट रूप से कथन करते है तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को आश्वस्त करते है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी अंश व भाग को विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि के हक में रहन, विक्रय, दान, त्याग, बख्शीश आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की है तथा विक्रय करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, आदि के साथ कोई अनुबंध करार सौदा इत्यादी नहीं किया है तथा उपरोक्त

मामा ती देवी

[Handwritten signature]
5/12/19 मजु कामरु

[Fingerprint]
के.प.प.

[Fingerprint]
मामा ती देवी

8961 दि. 20-1-15

रकम राशि 500

बिल नं. ~~...~~ कृष्णाण (नं. 1) श्री श्री श्री

पेनामी ~~...~~

लालसोट

दिनेश कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लालसोट जिला- मै.
ला न- R11/92

उपरोक्त	कमलेश
रामसिंह	जालसोट
पुष्प	काठिया
रामसिंह	बलचन्द्र
बुलाह	30 चालक
काठिया	



 लालसोट

कमलेश



LHं कमलेश

रामसिंह



LHं रामसिंह



राजस्थान RAJASTHAN

. 4 .

C 353609

19 JAN 2015

वर्णित कृषि भूमिया उसके किसी भी अंश या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ को हस्तांतरित करने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुबंध करार सौदा या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि या उसको किसी भी अंश को किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में रहन नहीं किया है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी ऋण, भार, कर्जा, कुर्की, जमानत, अवाप्ती आदि से मुक्त है तथा हर प्रकार के जनसाधारण के वाद विवादों एवं झगड़ो व टण्टो आदि से शुद्ध व पवित्र है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के संदर्भ में वर्तमान में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से विक्रय आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं को हैं ।

यह कि विक्रेतागण प्रथमपक्ष को रूपयों की आवश्यकता होने से प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने स्वयं अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित आराजी ख.नं 1646 रकबा 19 बिस्वा अंके उन्नीस बिस्वा भूमि स्थित कस्बा

मापतीदीदी

Handwritten signature and text:
सत्यमेव जयते
5/1/15 2/3/15

Handwritten text: चामुण्ड

Handwritten text: राजपट्ट

8961 दि. 20-1-15

~~दि. 20-1-15~~

~~दि. 20-1-15~~

~~दि. 20-1-15~~

कृष्ण लाल गुप्ता



दिनेश कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लालसोट जिला- दौस
ला न- R11/92

20-01-15

पत्र संख्या 320/134

दि. 14/1-15

पत्र संख्या 716/34

दि. 1/1-15


1014/106



कृष्ण लाल गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता

लालसोट तहसील लालसोट में हम विक्रेतागण गण की हिस्सा 11/19 की भूमि को मय सूल,बोल,डोली, डांगर,पूला, पाणी, इत्यादी सहित के समस्त कृषि हक खातेदारी स्वत्वाधिकारों आदि सहित को बिलऐवज मुबलिग रूपया 8,19,000/- अंके आठ लाख उन्नीस हजार रूपयों की एवज में स्व0 मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव सतपाल मीना लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बेचान कर दिया और बेचान की चूकती राशी द्वितीयपक्ष क्रेता के सचिव श्री सतपाल मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना से नगद क्रेता द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये है । जिसे विक्रेतागण प्रथमपक्ष एतद्वारा प्राप्त करना स्वीकार करता हूँ तथा अब प्रतिफल की धनराशी में से कुछ भी राशी विक्रेतागण प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से लेनी शेष नहीं रही हैं तथा विक्रय की गई कृषि भूमि हिस्सा 11/19 पर कब्जा विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने मौके पर कानूनी रूप से व वास्तवीक रूप से करा दिया है तथा प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपना समस्त दखल व कब्जा हटाकर क्रेता द्वितीयपक्ष को अपने समान एकमात्र स्वामी व काबिज बना दिया है अब इस विक्रय की गई कृषि भूमि पर से विक्रेतागण स्वयं का तथा उसके समस्त स्थापनों,दायभागीयों एवं उत्तराधिकारियों का कोई हक व सम्बंध नहीं रहा है ना ही भविष्य में होगा।

विक्रय की गई कृषि भूमि में विक्रेतागण प्रथमपक्ष या अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है यदि कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा या विवाद उत्पन्न करेगा तो इस विक्रय के विरुद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावों व विवादों आदि का निपटारा, सुलटारा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं अपने धन एवं श्रम से करेगा और यदि इस विक्रय की गई कृषि भूमि के विरुद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश या भाग क्रेता द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावें या क्रेता द्वितीयपक्ष को इस संबंध में कोई आर्थिक उठानी पड़ जावें तो क्रेता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रतिफल विक्रय की सम्पूर्ण राशी मय समस्त हानि व व्यय आदि सहित विक्रेतागण प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें, वसूल कर लें, इस सम्बन्ध में विक्रेतागण प्रथमपक्ष का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

विक्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण विक्रेतागण प्रथमपक्ष द्वारा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार करा दिया जावेगा अन्यथा क्रेता द्वितीयपक्ष स्वयं इस लेख पत्र के आधार पर अपने हक


उप मजियक
लालसोट जिला दौसा (राज.)


क्रेता

सचिव



में राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार करा लेवें । आज से क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि पर एक मात्र स्वामी व काबिज वास्तवीक रूप से हो गए है तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रय की गई कृषि पर समस्त मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गए है तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई भूमि को संस्थानिक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेन्टर, कृषि संकाय (फार्म) के उपयोग मे लेवें, किसी अन्य के हक में विक्रय करें, किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावें, समस्त सरकारी विभागों मे अपना नाम अंकित करावें तात्पर्य यह हैं कि आज से क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि पर एक मात्र स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार के उपयोग व उपभोग करें, विक्रय-पत्र के निष्पादन संबंध में समस्त व्यवहार क्रेता द्वितीयपक्ष ने स्वयं वहन किया है। विक्रय की जा रही भूमि पूर्व दिशा वाली सीताराम शर्मा की भूमि से लगती हुई विक्रय की है ।

विक्रय की गई कृषि भूमि में कस्बा लालसोट की आबादी से 3 कि०मी० दूर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग लालसोट गंगापुर् सड़क वाली से 1 कि०मी० दूर स्थित है । विक्रय की जा रही भूमि असिंचित है । इसके पास कोई सरकारी कार्यालय नही है

लिहाजा यह चन्द कलमे बतरीक बैयनामा स्टाम्प कीमती 40000/- रूपये किता - पर बदुरुस्ती होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के लिखा दीना कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम में आवें । तारीख तहरीर : 20.01.2015 ई० ड्राफ्टेड बाई - इश्हाक मोहम्मद डीडरार्टर ला.नं. 5 तहसील लालसोट

साक्षी : कामेश्वर शर्मा H० विक्रेतागण (प्रथमपक्ष) ममता

कामेश्वर शर्मा
श 30 19110
दोहावा

कामेश्वर शर्मा
कामेश्वर शर्मा
कामेश्वर शर्मा

साक्षी : कामेश्वर शर्मा
 लालसोट विभाग क्षेत्र (राज.)

H० क्रेता (द्वितीयपक्ष)

कामेश्वर शर्मा
श 30 19110

पत्र नं. A.A. TL 5358 N

कामेश्वर शर्मा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- राजोली
पटवार हल्का :- राजोली
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- लालसोट
तहसील :- लालसोट
जिला :- दौसा
काश्तकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 182
खाता संख्या पुराना :- 174

जमाबंदी 2080 (वर्ष 2024) से स्थायी

1. स्व. मूलचन्द मीणा कल्याण संस्थान अध्यक्ष श्री मती राजन्तिदेवी मीणा लालसोट हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए अ.वि.व.- जरिये अध्यक्ष श्रीमती राजन्तिदेवी मीणा, लालसोट,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
295/173	0.3920	बारानी 3	0.3920	0.47		
कुल खसरे -1		0.3920	0.4700			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - SW MOOLCHAND MEENA
KALYAN SANSTHAN
प्रतिलिपि सं. - 20148
दिनांक व समय -24/Feb/2024 10:57:00 AM

पता - RAJOLI
आई.पी. - 10.70.244.252
नक़ल जारी करने का स्थान - लालसोट



प्रारूप "ख"

देखिये नियम 9 (3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी / उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राजस्थान)

दिनांक :

क्रमांक :

संपरिवर्तन - आदेश (Conversion Order)

स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन मीना निवासी महारिया तहसील लालसोट के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम : स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान
जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन
2. पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता : ग्राम एवं पंचायत - महारिया तहसील
लालसोट जिला दौसा (राजस्थान)
3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं
4. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा
क. ग्राम राजौली तहसील का नाम लालसोट
ख. भूमि का खसरा सं. 295/173 का क्षेत्रफल रकबा 1.11 बीघा
ग. खसरा सं. 295/173 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए 3923.64 वर्ग मीटर भूमि
संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित क्षेत्रफल

टिप्पणी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

5. संपरिवर्तन का प्रयोजन : संस्थानिक प्रयोजनार्थ
6. सदेय प्रीमियम की दर : 23.75 रूपयें प्रति वर्ग मीटर
7. चालान की संख्या 53 दिनांक 11.10.2017
जमा कराई गई प्रीमियम की रकम : 93200
8. चालान की संख्या तथा तारीख
शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं
9. चालान की संख्या दिनांक
ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं

कुल राशि : 93200

10. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है : नहीं
11. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो : नहीं
12. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(Signature)
[Stamp]

3. नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमा अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क सीमा को छोड़ते हुए/अप्रोच रोड पर ही संपरिवर्तन माना जावे।


क्रमांक : 668-669
प्रतिलिपी :-

1. जिला कलक्टर महोदय दौसा।
- ✓ 2. तहसीलदार लालसोट।
3. ग्राम पंचायत/सचिव ग्राम पंचायत राजौली तहसील लालसोट।
4. आवेदक श्री




11
(डा.गोरधन लाल शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट

दिनांक : 12/10/17


(डा.गोरधन लाल शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट

कच्चा प्लान क्र. 295/173 वर्क राजौली तह लालसोट जि. दांग (राज.)
 ने 4628-75 व. ग. - 3923-64 व. मी. - 111 बीघा कस्ते कृषि से संस्थानिक
 संपरिवर्तन हेतु

उार्थी - स्व. मुलचन्द मीना कल्याण संस्थान जारिमे अध्यक्ष क्षेमति
 राजनी देवी मीना जि. लालसोट सिधे खनिव सतपाल पुत्र
 लजमोक्ष मीना जि. सहरिया



C.S.
 [Signature]
 [Signature]

← लालसोट राजापुर सीड →
 राजापुर आधिकारी राजापुर
 लालसोट जिला नगर

हस्ताक्षर [Signature]

DRAWN BY [Signature]